सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया   प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 11.03.2026

आजमगढ़

01.थाना – अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने के नाम पर 03 लाख रुपये की ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.03.2026 को वादी कन्हैया पुत्र स्व0 अलगू यादव निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण 1. परमानन्द यादव पुत्र मनिराम यादव तथा 2. रामानन्द यादव पुत्र बलिराम यादव निवासीगण महाजी सिंगवारा थाना कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्र रणधीर यादव उर्फ मिन्टू यादव को सफाईकर्मी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 03 वर्ष पूर्व 03 लाख रुपये ले लिये गये। बाद में रुपये वापस मांगने पर टालमटोल एवं आनाकानी की जा रही थी।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 0083/26 धारा 406 भादवि बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में धारा 467/468 भादवि की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 09.03.2026 को उ0नि0 उमेश चन्द मय हमराह तथा थाना महराजगंज पुलिस टीम के साथ अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी गयी। सूचना के आधार पर अभियुक्त परमानन्द यादव को गायत्री नगर रेलवे स्टेशन, आजमगढ़ के पास से समय करीब 09:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त परमानन्द यादव द्वारा बताया गया कि उसका भाई रामानन्द यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते लखनऊ जाने के लिए निकला है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे फुलवरिया थाना अहरौला क्षेत्र से अभियुक्त रामानन्द यादव को समय करीब 12:10 बजे हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 0083/26 धारा 406/467/468 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.परमानन्द यादव पुत्र मनिराम यादव निवासी महाजी सिंगवारा थाना कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र 31 वर्ष।

2.रामानन्द यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी महाजी सिंगवारा थाना कोतवाली महराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 38 वर्ष।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
1.उ0नि0 उमेश चन्द थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2.उ0नि0 ओमकार तिवारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
3.हे0का0 श्रीनरायण यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
4.का0 शिवानन्द चौधरी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
5.का0 मनीष कुमार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
6.का0 रामबाबू थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
7.का0 रतीश तिवारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

02. थाना निजामाबाद

आपसी विवाद में जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा डालने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.01.2026 को प्रातः लगभग 09:00 बजे ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में प्रथम पक्ष की विमला देवी पत्नी स्व0 हरेन्द्र चौहान व विनीता पुत्री स्व0 हरेन्द्र चौहान तथा द्वितीय पक्ष की सरिता पत्नी जगदीश चौहान व गोविन्द पुत्र भगेलू चौहान के बीच नल से पानी ले जाते समय पानी गिरने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा गाली-गलौज करते हुए बांस के डंडे से एक-दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हो गये।
सूचना पर पहुंचे बीट आरक्षी द्वारा समझाने-बुझाने के दौरान भी दोनों पक्ष उग्र हो गये तथा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना के संबंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 25/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 221 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण –
दिनांक 10.03.2026 को उ0नि0 लाला राम मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण/संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग के दौरान सेन्टरवां मोड़ पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गोविन्द चौहान पुत्र भगेलू चौहान निवासी ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ असनी पुलिया के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है।
प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को असनी पुलिया से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम गोविन्द चौहान पुत्र भगेलू चौहान निवासी बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष बताया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब सुबह 09:30 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।
पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 25/26 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 221 बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त –
गोविन्द चौहान पुत्र भगेलू चौहान निवासी ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –
1.उ0नि0 लाला राम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2.हे0का0 अखिलेश कुमार यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3.हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

<u>03. थाना – फूलपुर</u>

<u>मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिक बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल</u>

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 09.03.2026 को थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर यह प्रकाश में आया कि दिनांक 08.03.2026 को थाना क्षेत्र के एक ग्राम में एक नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी द्वारा अश्लील हरकत की गई। इस संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 86/2026 धारा 75 बीएनएस व 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी का विवरण –
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार (IPS) द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान तथा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश पुत्र केसरी निवासी ग्राम सैदपुर खंजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष को दिनांक 09.03.2026 को समय करीब 19:43 बजे गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त –
राजेश पुत्र केसरी निवासी ग्राम सैदपुर खंजहांपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 55 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0 86/2026 धारा 75 बीएनएस व 9/10 पॉक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
1.हे0का0 दिनेश कुमार वर्मा, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

जनपद-मऊ

01. गोकसी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.03.2026 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम कन्धेरी ताला सागर के पास से मु0अ0स0 87/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ। अभियुक्त ईशा नट उर्फ सन्तोष पुत्र छटंकी नट निवासी कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1.ईशा नट उर्फ सन्तोष पुत्र छटंकी नट निवासी कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

बरामदगी-

1.01 अदद नाजायज तमंचा

2.01 अदद जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 87/26 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम

2.मु0अ0स0 89/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायलखन्सी

3.मु0अ0स0 297/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सरायलखन्सी

4.मु0अ0स0 116/25 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 109(1)/325 बीएनएस थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारकर्ता-

1.उ0नि0 वृजेश कुमार

2.का0 अभिषेक सिंह

3.का0 सुनील विश्वकर्मा।

02. 01 शातिर अन्तरजनपदीय चोर गिरफ्तार कब्जे से कुल करीब 206 ग्राम सोने के आभूषण तथा 1536 ग्राम चांदी के आभूषण (कीमत लगभग 37 लाख रूपये) व नगद (52,500 रूपये)और चोरी में प्रयुक्त उपकरण तथा मोबाइल फोन बरामद -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी (IPS) के द्वारा जनपद में घटित हो रही मकानों में ताला तोड़कर चोरी, आभूषण चोरी तथा अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, चोरी गये माल विशेषकर नकदी , सोने-चांदी के आभूषणों की बरामदगी तथा घटनाओं का त्वरित एवं सफल अनावरण सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मऊ श्री

कृश राजपूत के सहयोग व निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मऊ द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से लगातार सक्रिय रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, संभावित स्थानों पर निगरानी तथा मुखबिर तंत्र के माध्यम से चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। अभियान में करीब 42 विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात अभियुक्त की पहचान होने पर मुखबिर खास मामूर किया गया था । दिनांक 09.03.2026 को प्राप्त मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला मैदान जाने वाली रोड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जो अपने कंधे पर स्लेटी रंग का बैग लेकर जा रहा था। पूछताछ में उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम मनोज कुमार गुप्ता पुत्र रमेश्वर गुप्ता निवासी मूल तकिया धरहरा थाना लार जनपद देवरिया, हाल पता मिश्र नेवरी काशीपुर वार्ड नं0 05 थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया बताया गया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से सोने का कुल 205.82 ग्राम तथा चांदी का कुल 1536 ग्राम आभूषण, चोरी की नकदी कुल 52500 रूपये , मकानों के ताले व आलमारी तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड (सुम्मी) तथा दो मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद मऊ के विभिन्न क्षेत्रों सहादतपुरा, ताजोपुर, बरपुर तथा कोपागंज क्षेत्र में मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद आभूषणों व नकदी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 331(4)/305(a) /317(2), 317(4), 111(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

अपराध का तरीका -

अभियुक्त ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। अभियुक्तों द्वारा दिन में ऐसे मकानों की पहचान की जाती थी जिनमें ताला लगा होता था तथा रात्रि में मकान के मुख्य गेट, दरवाजे या छत के रास्ते घर में प्रवेश कर लोहे की नुकीली रॉड (सुम्मी) से ताला, बक्सा, आलमारी व लाकर तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली जाती थी। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी किये गये आभूषणों का कुछ हिस्सा बेच दिया जाता था तथा कुछ आभूषणों को सोनार से सत्यापित कराकर बैंकों से लगभग 12 लाख रुपये व 7 लाख रुपये के गोल्ड लोन प्राप्त किये गये थे। चोरी से अर्जित धन से अभियुक्त द्वारा मुंबई में झुग्गी खरीदना, जनपद बलिया में मकान बनवाना तथा अपनी पत्नी के नाम से बैंक में धन जमा करना भी स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तथा चोरी से अर्जित संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा जनपद मऊ के सहादतपुरा, ताजोपुर, बरपुर तथा कोपागंज क्षेत्र में चोरी करना स्वीकार किया है और उससे सम्बन्धित जेवरात बरामद कराया है । परन्तु अभियुक्त द्वारा जनपद मऊ के कई अन्य स्थानों पर लगभग 20-25 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है , जिसके बारे में जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.मनोज कुमार गुप्ता पुत्र रमेश्वर गुप्ता निवासी मूल तकिया धरहरा थाना लार जनपद देवरिया, हाल पता मिश्र नेवरी काशीपुर वार्ड नं0 05 थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया उम्र करीब 49 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त मनोज कुमार गुप्ता के कब्जे से तलाशी के दौरान निम्नलिखित सामान बरामद हुआ –

1.आभूषण –

सोने (पीली धातु) के आभूषण – कुल 205.82 ग्राम कीमती करीब 32,93,120 रूपये
(बत्तीस लाख तिरानबे हजार एक सौ बीस) मात्र

1. एक अदद हार
2. एक जोड़ी कंगन (हाथ का)
3. 11 अदद अंगूठी
4. तीन अदद चैन लॉकेटशुदा
5. चार जोड़ी कान का झाला व टप्स
6. नाक की कील कुल 07 अदद .
7. तीन अदद मंगलसूत्र
8. दो अदद मांग टीका
9. एक अदद नथिया

चांदी (सफेद धातु) के आभूषण – कुल 1535.91 ग्राम कीमती करीब 3,88,585 रूपये
(तीन लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ पचासी रूपये)

1. पायल छः जोड़ी
2. एक अदद ज्युतिया
3. तीन अदद हाफ पेटी / करधनी
4. दो जोड़ी झागल
5. एक छोटी कटोरी
6. एक छोटा चम्मच
7. एक सुपारी गोल
8. एक तस्तरी

2.चोरी के कुल 52,500 रूपये नगद

3.चोरी में प्रयुक्त उपकरण – दो अदद लोहे की रॉड (सुम्मी) जो एक तरफ से नुकीली है, जिससे ताला, बक्सा व लाकर तोड़ा जाता है।

4.मोबाइल फोन – एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग (रंग काला) तथा एक अदद मोबाइल फोन रेडमी-13

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 09.03.2026

समय – 18.30 बजे

स्थान – रामलीला मैदान के पास, रेलवे स्टेशन मऊ को जाने वाली सड़क, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

1.मु0अ0सं0 70/2026, धारा 331(4)/305(क)/ 317(2)/317(4)/111(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

2.मु0अ0सं0 54/26 धारा 305/331(4)/ 317(2)/317(4) बी.एन.एस. थाना कोपागंज जनपद मऊ

3.मु0अ0सं0 57/26 धारा 331(4)/305(ए)/ 317(2)/317(4) बी.एन.एस. थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

4.मु0अ0सं0 233/25 धारा 331(4)/305(ए)/ 317(2)/317(4) बी.एन.एस. थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

5.मु0अ0सं0 134/24 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

6.मु0अ0सं0 136/24 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

7.मु0अ0सं0 359/08 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना सरायलखंसी जनपद मऊ

8.मु0अ0सं0 1713/2010 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

9.मु0अ0सं0 130/2005 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर

10.मु0अ0सं0 99/2009 धारा 110 (जी) दंप्रसं थाना लार जनपद देवरिया

11.मु0अ0सं0 150/2007 धारा 394/412 भा0दं0वि0 थाना लार जनपद देवरिया

12.मु0अ0सं0 304/09 धारा 110 (जी) दंप्रसं थाना लार जनपद देवरिया

13.मु0अ0सं0 897/2013 धारा 110 (जी) दंप्रसं थाना लार जनपद देवरिया

14.मु0अ0सं0 80/2003 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

15.मु0अ0सं0 15/2010 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना उभांव जनपद बलिया

16.मु0अ0सं0 59/2003 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना उभांव जनपद बलिया

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

2.उ0नि0 संजय कुमार तिवारी, चौकी प्रभारी संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

3.उ0नि0 विवेक राव, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

4.हे0का0 राकेश यादव, सर्विलांस टीम जनपद मऊ

5.का0 विजय यादव, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

6.का0 अमरेश सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

7.का0 विवेक कुमार यादव, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

8.का0 अंगद सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

9.चा0हे0का0 विनोद कुमार सरोज, चालक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

जनपद -बलिया

01.श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 08/20 NDPS एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 / (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक 09.03.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना हल्दी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-76/2013 धारा 08/20 NDPS एक्ट में 01 नफर अभियुक्त भरत कुमार पासवान पुत्र वीरमनु पासवान निवासी बसुधरपार थाना हल्दी समस्त जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(NDPS एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04, जनपद बलिया द्वारा-
धारा-20 NDPS एक्ट में अभियुक्त भरत कुमार पासवान पुत्र वीरमनु पासवान निवासी बसुधरपार थाना हल्दी जनपद बलिया को दोषसिद्ध पाते हुये 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 12.05.2013 को अभियुक्त भरत कुमार पासवान पुत्र वीरमनु पासवान निवासी बसुधरपार थाना हल्दी समस्त जनपद बलिया के कब्जे से 03 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी।
अभियोजन अधिकारी- श्री हरेराम वर्मा

2.श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 08/21 NDPS एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 / (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 09.03.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-100/2019 धारा 08/21 NDPS एक्ट में 01 नफर अभियुक्त भरत कुमार पासवान पुत्र वीरमनी निवासी वार्ड नं-01 कस्बा सहतवार थाना सहतवार बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश(NDPS एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04, जनपद बलिया द्वारा-
धारा-21 NDPS एक्ट में अभियुक्त भरत कुमार पासवान पुत्र वीरमनु पासवान निवासी बसुधरपार थाना हल्दी जनपद बलिया को दोषसिद्ध पाते हुये 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/ (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23.07.2019 को अभियुक्त भरत कुमार पासवान पुत्र वीरमनी निवासी वार्ड नं-01 कस्बा सहतवार थाना सहतवार बलिया के कब्जे से 21 ग्राम हिरोइन बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी।
अभियोजन अधिकारी- श्री हरेराम वर्मा

3.थाना नरही जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 अदद खोयी हुयी मोबाईल फोन बरामद कर संबंधित को किया गया सुपूर्द।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में चोरी/खोयी हुयी मोबाईल को CEIR पोर्टल के माध्यम से बरामदी हेतु चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया, क्षेत्राधिकारी सर्किल

सदर बलिया व थानाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 10.03.2026 को उ0नि0 शिव कुमार कुशवाहा के द्वारा गुम हुए 02 अदद (VIVO Y2858 व REALME- NOTE 50) मोबाईल फोन को सकुशल बरामद किया गया। उक्त बरामद किये गये मोबाईल के संबन्ध में आवेदक अभिषेक कुमार गुप्ता पुत्र सलावी प्रसाद निवासी सलेमपुर थाना नरही जनपद बलिया के द्वारा दिनांक 24.11.2025 को थाना नरही पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके बाद थाने के सीसीटीएनएस प्रभारी द्वारा उक्त मोबाईल को ट्रेस करने हेतु CEIR पोर्टल पर रजिस्टर किया गया था। कुछ दिन बाद उक्त मोबाईल फोन ट्रैस हुआ जिसके बाद मोबाईल चला रहे सबस्क्राईबर का डीटेल CEIR पोर्टल से प्राप्त हुआ तत्पश्चात उ0नि0 शिवकुमार कुशवाहा के द्वारा उक्त मोबाईल फोन को बरामद कर आवेदक अभिषेक कुमार गुप्ता पुत्र सलावी प्रसाद निवासी सलेमपुर थाना नरही जनपद बलिया को थाने पर बुलाकर सुपुर्द किया गया। मोबाईल फोन पाकर आवेदक द्वारा नरही पुलिस की भुरी-भुरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

बरामदगीः-

1. 02 अदद मोबाईल फोन (VIVO Y2858 व REALME- NOTE 50), कीमत- 24000/ रुपये

<u>04. थाना मनियर जनपद बलिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने करने से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार</u>।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दिनेश कुमार शुक्ल के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री जयशंकर मिश्र व थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक के कुशल नेतृत्व में थाना मनियर पुलिस टीम को मिली सफलता।*

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.02.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे ही गाँव के निवासी दुर्गेश कुमार यादव पुत्र गामा यादव व अखिलेश कुमार यादव पुत्र धामा यादव व उपेन्द्र यादव पुत्र हरख यादव ने मिलकर मेरे परिवार पे जानलेवा हमला कियें है जिसमें मेरे दादा जी को मार के बोहोश कर दिए। है। जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुई थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 10.03.2026 को उ0नि0 मो0 इस्माईल शेख मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन रोकथाम जुर्म जरायम व पेन्डिग विवेचना / वांछित अभियुक्तो की तलाश में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18/26 धारा 109/115(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त 1. उपेन्द्र कुमार यादव पुत्र हर्षनाथ उर्फ हरख यादव उम्र 31 वर्ष, 2. अखिलेश यादव पुत्र धामा यादव उम्र 22 वर्ष, 3. दुर्गेश यादव पुत्र गामा उर्फ सुरेन्द्र नाथ यादव उम्र 24 वर्ष, निवासीगण ग्राम बडागांव खुटहां थाना मनियर बलिया को खुटहां मोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 18/26 धारा 109/115(2) बीएनएस थाना मनियर जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता -

1.उपेन्द्र कुमार यादव पुत्र हर्षनाथ उर्फ हरख यादव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बडागांव खुटहां थाना मनियर बलिया
2.अखिलेश यादव पुत्र धामा यादव उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बडागांव खुटहां थाना मनियर बलिया
3.दुर्गेश यादव पुत्र गामा उर्फ सुरेन्द्र नाथ यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बडागांव खुटहां थाना मनियर बलिया

05.थाना गड़वार जनपद बलिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (दक्षिणी) श्री कृपाशंकर के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर / सदर श्री उस्मान व थानाध्यक्ष हितेश कुमार थाना गड़वार बलिया के कुशल नेतृत्व में थाना गड़वार पुलिस टीम को मिली सफलता

उल्लेखनीय है आज दिनांक 10.03.2026 थाना गड़वार पुलिस टीम के उ0नि0 नीरज कुमार यादव मय हमराह देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 270/2025 धारा 137(2), 87, 352 ,351(3) ,64(2)m BNS व धारा 5L/6 पाक्सो एक्ट बीएनएस सें सम्बन्धित अभियुक्त विजय चौहान पुत्र उदयभान चौहान निवासी ग्राम जमालपुर बुलन्द थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष को झिगुरी चट्टी से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्त का नाम पता

1.विजय चौहान पुत्र उदयभान चौहान निवासी ग्राम जमालपुर बुलन्द थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग

1.मु0अ0सं0 270/2025 धारा 137(2), 87, 352, 351(3) ,64(2)m BNS व धारा 5L/6 पाक्सो एक्ट बीएनएस थान गड़वार जनपद बलिया

06.थाना कोतवाली जनपद बलिया पर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर मो0 उस्मान के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 10.03.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 श्री सौरभ कुमार सिंह मय हमराह के साथ माल गोदाम रोड तिराहे के पास संदिग्ध वाहन व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे कि सफेद रंग की HYUNDAI कार से ऋतिकेश उर्फ छोटू सिंह पुत्र चुनमुन सिंह निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली बलिया उम्र 23 वर्ष के कब्जे से 01 अदद पिस्टल 32 बोर मथ मैगजीन 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुए समय करीब 01:45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त

के विरूद्ध मु०अ०सं०-094/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यावाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया। हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोगः

1. मु०अ०सं०-094/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ऋतिकेश उर्फ छोटू सिंह पुत्र चुनमुन सिंह निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली बलिया उम्र 23 वर्ष